



राजस्थान सरकार

युवा शक्ति को अवसर राजस्थान को नई उड़ान



निष्पक्ष, पारदर्शी और पेपर लीक रहित भर्तियां

रोजगार, कौशल विकास, भर्ती, स्टार्टअप और नवाचार के माध्यम से युवाओं के सशक्त भविष्य का निर्माण

रोजगार एवं भर्ती

- 1 लाख 78 हजार सरकारी पदों पर नियुक्तियां
- 51,427 अभ्यर्थियों की परीक्षा पूर्ण- भर्ती प्रक्रियाधीन
- 81,023 पदों पर भर्तियों की परीक्षा
- 70,031 पदों पर भर्ती की तैयारी

टेक्नोलॉजी एवं भविष्य

- राजस्थान AI-ML पॉलिसी लागू
- AVGC-XR पॉलिसी से एनीमेशन, गेमिंग और डिजिटल रोजगार को बढ़ावा
- Rajasthan Digi Fest 2026 का सफल आयोजन

पारदर्शी भर्ती

- भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए एसआईटी का गठन
- 569 आरोपियों की गिरफ्तारी, 157 एफआईआर दर्ज
- 410 भर्ती परीक्षाएं बिना किसी पेपर लीक के सफलतापूर्वक आयोजित

उच्च शिक्षा एवं अवसर

- PRIME योजना से मेधावी विद्यार्थियों को रिसर्च और इंटरनशिप के अवसर
- Apprenticeship Embedded Degree Program (AEDP) शुरू
- EV, Renewable Energy, BFSI, HR और Tourism जैसे नए रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रम शुरू

कौशल विकास एवं शिक्षा

- 3.58 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण
- 76 नए राजकीय महाविद्यालय स्थापित
- 88,724 विद्यार्थियों को टैबलेट/लैपटॉप वितरण
- 42,509 युवाओं को मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का लाभ

खेल एवं युवा सशक्तिकरण

- खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का सफल आयोजन
- मुख्यमंत्री स्पोर्ट्सपर्सन बीमा योजना लागू
- राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोटेंशियल (RTOP) योजना शुरू

युवा कल्याण

- Rajasthan Coaching Centres (Control & Regulation) Bill लागू
- माय भारत पोर्टल पर 19.40 लाख से अधिक युवा पंजीकृत, देश में दूसरा स्थान

स्टार्टअप एवं नवाचार

- राज्य में स्टार्टअप की संख्या बढ़कर 8,780
- स्टार्टअप निवेश ₹250 करोड़ से बढ़कर ₹1,054 करोड़
- 9 इंक्यूबेशन सेंटर और 65 लॉन्चपैड स्थापित
- 1,062 स्टार्टअप्स को ₹33.94 करोड़ की फंडिंग

जो खुद पंजाब में खेमेबाजी में लगे हैं, वो राजस्थान में पार्टी में एकता कैसे लाएंगे?

पंचायत चुनावों से पहले कांग्रेस में सभी को यही चिंता सता रही है

-रेणु मि्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 12 अगस्त। कांग्रेस के नेताओं ने राजस्थान के प्रभारी एआईसीसी महासचिव एस.एस. रंधावा के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल लिया है। रंधावा जयपुर आने वाले हैं, जहां उन्हें विभिन्न जिलों में आपस में लड़ रहे कांग्रेस नेताओं के बीच एकता कायम करने की कोशिश करनी है।
रंधावा राजस्थान में पीसीसी अध्यक्ष डोटासरा के पूर्ण समर्थन में है। दोनों जाट हैं और दोनों मिलकर राज्य में दूसरे समुदायों को पीछे धकेल कर जाटों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दे रहे हैं।
लेकिन अपने गृह राज्य पंजाब में रंधावा असहमति, गुटबाजी और खींचतान के केन्द्र बन गए हैं और उन्होंने पंजाब के पीसीसी अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है।
राजस्थान के कांग्रेस नेता अब उन पर उंगली उठा रहे हैं और उन्हें पाखंडी बता रहे हैं।

सरकार ने एफसीआर बिल पारित कराने के लिए जेपीसी का रास्ता चुना

सरकार ने विदेशी फंडिंग के नियमन को कठोर बनाने के लिए यह संशोधन किया और इसके लिए वह हितधारकों की चिंताओं और राजनैतिक प्रभावों में संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 12 अगस्त। मोदी सरकार द्वारा फॉरेन कॉन्ट्रीव्यूशन (रैम्युलेशन) अमेंडमेंट बिल (विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक), 2026 को जाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी (जेपीसी) के पास भेजने का फैसला इस बात का संकेत है कि सरकार विदेशी फंडिंग के नियमन को और कड़ा करते हुए, संसदीय गतिरोध, हितधारकों की चिंताओं और राजनीतिक प्रभावों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है।
25 मार्च, 2026 को लोकसभा में पेश किए गए इस विधेयक का उद्देश्य मुख्य रूप से एफसीआरए, 2010 में संशोधन करना है। इसके तहत, एक निर्दिष्ट प्राधिकरण (डेंजिन्ग्रेटेड

- सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा, पारदर्शिता और विदेशी धन प्राप्त करने वाली संस्थाओं पर कड़ी निगरानी को विधेयक का मुख्य आधार बताया है।
- विपक्षी दलों का आरोप है कि यह विधेयक गैर सरकारी संगठनों, अल्पसंख्यक संस्थानों को निशाना बनाने के लिए लाया गया है।

अर्था(रिटी) गठित करने का प्रस्ताव है, जो किसी संगठन का पंजीकरण रद्द होने, स्वेच्छा से वापस लिए जाने या उसकी अवाधि समाप्त होने की स्थिति में विदेशी अंशदान और उससे बनाई गई संपत्तियों का प्रबंधन तथा निपटान करेगा।
सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य उन प्रशासनिक खामियों को दूर करना है, जिनके कारण अनिश्चितता और संभावित दुरुपयोग की स्थिति पैदा

होती है। इसके तहत, संपत्तियों को अस्थायी रूप से सरकार के अधिकार में रखने और संगठन का पंजीकरण दोबारा बहाल होने पर उन्हें वापस करने का प्रावधान होगा। साथ ही, पूजा स्थलों के धार्मिक चरित्र को सुरक्षित रखने और, समुदाय या विचारधारा की परवाह किए बिना, सभी संगठनों पर नियम समान रूप से लागू करने की बात कही गई है।
(श्रेष अंतिम पृष्ठ पर)

चंद्रचूड़ एक इंटरनैशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल में रुस का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह ट्रिब्यूनल यूक्रेन के सरकारी बैंक ओशादबैंक द्वारा लाए गए एक विवाद की सुनवाई कर रहा है। यह मामला रुस और यूक्रेन के बीच युद्ध और सैन्य अभियानों के कारण बैंक के कामकाज

चंद्रचूड़ एक इंटरनैशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल में रुस का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह ट्रिब्यूनल यूक्रेन के सरकारी बैंक ओशादबैंक द्वारा लाए गए एक विवाद की सुनवाई कर रहा है। यह मामला रुस और यूक्रेन के बीच युद्ध और सैन्य अभियानों के कारण बैंक के कामकाज

चंद्रशेखरन ने कहा कि उन्होंने पद छोड़ने का फैसला इसलिए किया, क्योंकि कंपनी के बोर्ड के एक सदस्य ने उनके कार्यकाल को बढ़ाने का समर्थन नहीं किया।
उन्होंने अपने बयान में लिखा, “सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट ने सर्वसम्मति से मेरे अगले कार्यकाल को पांच साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया था और इसकी सिफारिश की थी। टाटा संस को

चंद्रशेखरन ने कहा कि उन्होंने पद छोड़ने का फैसला इसलिए किया, क्योंकि कंपनी के बोर्ड के एक सदस्य ने उनके कार्यकाल को बढ़ाने का समर्थन नहीं किया।
उन्होंने अपने बयान में लिखा, “सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट ने सर्वसम्मति से मेरे अगले कार्यकाल को पांच साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया था और इसकी सिफारिश की थी। टाटा संस को

चंद्रशेखरन ने कहा कि उन्होंने पद छोड़ने का फैसला इसलिए किया, क्योंकि कंपनी के बोर्ड के एक सदस्य ने उनके कार्यकाल को बढ़ाने का समर्थन नहीं किया।
उन्होंने अपने बयान में लिखा, “सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट ने सर्वसम्मति से मेरे अगले कार्यकाल को पांच साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया था और इसकी सिफारिश की थी। टाटा संस को

चंद्रशेखरन ने कहा कि उन्होंने पद छोड़ने का फैसला इसलिए किया, क्योंकि कंपनी के बोर्ड के एक सदस्य ने उनके कार्यकाल को बढ़ाने का समर्थन नहीं किया।
उन्होंने अपने बयान में लिखा, “सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट ने सर्वसम्मति से मेरे अगले कार्यकाल को पांच साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया था और इसकी सिफारिश की थी। टाटा संस को

चंद्रशेखरन ने कहा कि उन्होंने पद छोड़ने का फैसला इसलिए किया, क्योंकि कंपनी के बोर्ड के एक सदस्य ने उनके कार्यकाल को बढ़ाने का समर्थन नहीं किया।
उन्होंने अपने बयान में लिखा, “सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट ने सर्वसम्मति से मेरे अगले कार्यकाल को पांच साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया था और इसकी सिफारिश की थी। टाटा संस को

रहस्यमय ढंग से आरोप लगे और रहस्यमय ढंग से हट गए

अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जज ने गौतम अडानी को बरी करते हुए कहा, अमेरिकी अभियोजक अपराध साबित करने में विफल रहे और सरकार ने खुद अडानी के खिलाफ मामला खत्म कर दिया

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 12 अगस्त। अमेरिका के एक फेडरल कोर्ट ने भारतीय अरबपति गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी के खिलाफ आरोप वापस ले लिए हैं। विश्वसनीय जानकारी के अनुसार, छह अन्य लोगों के खिलाफ आरोप भी हटाए जा रहे हैं। ये आरोप जितने अचानक लगाए गए थे, उतने ही अचानक वापस ले लिए गए।
न्यायाधीश ने एक तरह से स्वीकार किया कि अमेरिकी अभियोजक सुनवाई के दौरान अपराध साबित करने में विफल रहे और फेडरल सरकार ने खुद अडानी के खिलाफ मामला खत्म करने का फैसला किया। अदालत ने शुरुआती तौर पर यह भी स्वीकार किया कि अमेरिकी सरकारी एजेंसियां अडानी के खिलाफ मुकदमा इसलिए वापस नहीं ले रही थीं, क्योंकि वे अमेरिका में 10 अरब डॉलर के निवेश का वादा कर रहे थे।
आरोप हटाए जाने के बाद अडानी अब अमेरिका में अपने लंबे समय से रुके प्रस्तावों को आगे बढ़ा सकेंगे।

- अदालत ने यह भी स्वीकार किया कि सरकारी एजेंसियां ने इसलिए अडानी के खिलाफ अभियोजन आगे नहीं बढ़ाया, क्योंकि वे अमेरिका में दस बिलियन डॉलर की पूँजी लगाने वाले हैं और इसीलिए उनके पक्ष में निर्णय दिया गया है।
- न्याय विभाग ने यह भी कहा कि यह मामला “नाम खराब करने और शर्मिदा करने” की कोशिश थी। यह भारतीय कॉर्पोरेट जगत की कुछ बड़ी कंपनियों को बदनाम करने की किसी बड़ी चाल का हिस्सा हो सकता है।

अडानी के खिलाफ मामला नवंबर 2024 में पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन के प्रशासन के अंतिम दिनों में शुरू किया गया था।
इस मामले से यह बात बहुत साफ तौर पर सामने आई कि किसी न्यायिक प्रणाली के अधिकार क्षेत्र से बाहर की गतिविधियों से जुड़े आरोपों वाले केस को आगे बढ़ाना कितना मुश्किल होता है। न्यायाधीश ने कहा कि आरोपियों ने कभी भी सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से पेश होकर अदालत में अपना पक्ष नहीं

रखा। मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने यह भी कहा कि उनके ऐसा करने की संभावना भी नहीं थी।
मुख्य आरोप यह था कि अडानी 20 करोड़ डॉलर से अधिक की एक बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना हासिल करने के लिए भारत सरकार के अधिकारियों को भारी रिश्वत देने की योजना बना रहे थे। हालांकि, सरकारी वकील सुनवाई के दौरान रिश्वत के वास्तविक भुगतान को कभी साबित नहीं कर पाया।
(श्रेष अंतिम पृष्ठ पर)

टाटा संस के प्रमुख चंद्रशेखरन पद त्याग करेंगे

चंद्रशेखरन ने कहा, उन्होंने यह फैसला इसलिए किया है, क्योंकि कंपनी के एक बोर्ड सदस्य ने उनके कार्यकाल विस्तार का समर्थन नहीं किया था

- चंद्रशेखरन ने कहा कि सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट ने सर्वसम्मति से मेरे कार्यकाल को 5 साल बढ़ाने का फैसला किया था और टाटा संस की नॉमिनेशन एंड रैम्युरेशन कमेटी ने भी इसे स्वीकार किया था।
- पर, जब 24 फरवरी 2026 को टाटा संस के बोर्ड के समक्ष यह प्रस्ताव रखा गया तो एक सदस्य ने समर्थन नहीं दिया और सर्वसम्मत समर्थन नहीं मिलने से मैंने इसे तब टाल दिया और अब 6 माह बाद भी इस मुद्दे पर कोई फैसला नहीं हुआ है तो मैंने यह निर्णय लिया है।

नॉमिनेशन एण्ड रैम्युरेशन कमेटी तथा बोर्ड ने भी इसे रिर्काई किया और इसकी सिफारिश की। इसके बाद यह प्रस्ताव 24 फरवरी 2026 को टाटा संस के बोर्ड के सामने रखा गया। लेकिन यह प्रस्ताव पारित नहीं हो सका, क्योंकि बोर्ड के एक सदस्य ने इसका समर्थन नहीं किया। सर्वसम्मत समर्थन नहीं मिलने के कारण मैंने इस फैसले को टालने का निर्णय लिया।”

चंद्रशेखरन ने कहा कि बोर्ड की बैठक को छह महीने हो चुके हैं, लेकिन अब तक इस मुद्दे का कोई समाधान नहीं निकल पाया है।
उन्होंने कहा, “टाटा संस एक बहुत बड़ा संस्थान है और कई महत्वपूर्ण रणनीतिक परियोजनाएं इस समय बेहद अहम चरण में हैं। यह जरूरी है कि फरवरी 2027 के बाद समूह का नेतृत्व करने के लिए एक नेता की नियुक्ति हो।

साथ ही नेतृत्व को लेकर स्पष्टता कर्मचारियों, निवेशकों, पार्टनर्स और अन्य स्टैक होल्डर्स के लिए भी महत्वपूर्ण है।”

चंद्रशेखरन पिछले 40 वर्षों से टाटा समूह का हिस्सा रहे हैं। वे जनवरी 2017 से टाटा संस और टाटा समूह के चेयरमैन हैं। उन्होंने 1987 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) में प्रशिक्षु के रूप में काम शुरू किया और 2009 में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने। इसके बाद उन्होंने टाटा संस की कमान संभाली।

उन्होंने अपने बयान में कहा, “मैं इस प्रतिष्ठित संस्थान में योगदान देने के बेहद संतोषजनक अवसर के लिए आभारी हूं। पिछले एक दशक में टाटा संस का नेतृत्व करना मेरे लिए बड़े सम्मान और गहरी जिम्मेदारी का विषय रहा है।”

अपने उत्तराधिकारी की प्रक्रिया के अगले कदम के बारे में चंद्रशेखरन ने

ऑटो -टैक्सी ड्राइवरों के लिए मराठी सीखना अनिवार्य

नई दिल्ली, 12 अगस्त। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में कमर्शियल पैसेंजर ट्रांसपोर्ट चालकों के लिए मराठी भाषा की अनिवार्यता को और सख्त कर दिया

- सरकार ने महाराष्ट्र मोटर वाहन नियम में संशोधन करते हुए चालकों के लिए मराठी जानना अनिवार्य कर दिया है, भाषा नहीं जानने पर तीन माह तक लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान बनाया।

है। बुधवार को सरकार ने महाराष्ट्र मोटर वाहन (संशोधन) नियम, 2026 में संशोधन करते हुए कड़े नियमों और दंड का प्रावधान किया है। नए नियमों में

नई दिल्ली, 12 अगस्त। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में कमर्शियल पैसेंजर ट्रांसपोर्ट चालकों के लिए मराठी भाषा की अनिवार्यता को और सख्त कर दिया

